राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 104/2023

पवन कुमार दाधीच **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू जोन, चूरू।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसवा, नवलगढ़, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.01.2023
आदेश की दिनांक : 10.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल.शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसवा, नवलगढ़, झुंझुनू में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.08.2021 के द्वारा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन्द्रपुरा, जिला झुंझुनू पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का सही नाम पवन कुमार दाधीच है परंतु पदोन्नति आदेश में उसका नाम गलत तरीके से पवन कुमार शर्मा नाम अंकित किया गया है, जिसके कारण अपीलार्थी को पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस विद्यालय में अपीलार्थी कार्य कर रहा है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य को अपना नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी का गलत नाम अंकित होने की वजह से अपीलार्थी को पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण करने हेतु उसे कार्यमुक्त भी नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का नाम में संशोधन कर पवन कुमार शर्मा के स्थान पर सही नाम पवन कुमार दाधीच पदोन्नति आदेश में अंकित किया जाए और उसे

पदोन्नति पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसवा, नवलगढ़, झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य